13

पूर्व मध्य रेल

परिचालन संरक्षा चेतावनी संख्या 03/2019

(Operating Safety Alert no. 03/2019)

विषय- पूर्व मध्य रेल के एक मंडल में दिनांक 04.11.2019 को ट्रैफिक ब्लॉक में गाड़ी संख्या इलेक्ट्रिक एनजीसी (7007) का ब्लॉक सेक्शन में प्रवेश करना।

ज्ञात हुआ है कि दिनांक 04.11.2019 को पूर्व मध्य रेल के एक मंडल में दो ब्लाक स्टेशनों के बीच ट्रैफिक ब्लॉक (वेल्डिंग ब्लॉक) दिया जाना था। सीनियर सेक्शन इंजीनियर (P.way) ने 180 मिनट का ब्लॉक यार्ड मास्टर से 11:40 बजे मांगा। यार्ड मास्टर ने इसकी सूचना चीफ कंट्रोलर को दी। ब्लॉक दिए जाने से पूर्व चीफ कंट्रोलर ने यार्ड मास्टर को सूचित कर दिया था कि गाड़ी संख्या Elect. NGC के पीछे ब्लॉक दिया जाएगा लेकिन यार्ड मास्टर ने यह सुनिश्चित किए बिना, कि गाड़ी उक्त ब्लाक खंड जिसमें ब्लॉक दिया जाना है, को क्लियर कर चुकी है एवं सेक्शन कंट्रोलर की अनुमति प्राप्त किए बिना SM/RRI से प्राइवेट नंबर आदान-प्रदान कर ब्लॉक दे दिया और इसी बीच 13:01 बजे गाड़ी संख्या Elect NGC (7007) मेन लाइन से खुलकर ट्रैफिक ब्लॉक की स्थिति में ब्लॉक किए गये सेक्शन में प्रवेश कर गई।

इस चूक के लिए यार्ड मास्टर और डेप्यूटी चीफ कन्ट्रोलर को निलंबित कर कड़ी कार्यवाही करने हेतु आवश्यक कदम उठाए ता रहे हैं।

चूक (Failure):

(1) SM/RRI द्वारा यह सुनिश्चित किए बिना कि उन दो ब्लॉक स्टेशनों का उक्त ब्लाक खंड साफ है, ब्लॉक देने के लिए यार्ड मास्टर के साथ प्राइवेट नंबर आदान प्रदान किया जाना अर्थात GR 14.10 का उल्लंघन।

(2) यार्ड मास्टर द्वारा सेक्शन कंट्रोलर से अनुमति लिए बिना ट्राफिक ब्लॉक दिया जाना।

ऐसी दुर्घटनाओं की पुनरावृति को रोकने के लिए परिचालन संबंधी नियमों का कठोरता से पालन किया जाना आवश्यक है एवं कर्मचारी में नियमों के प्रति सजगता उत्पन्न करने हेतु समय-समय पर काउंसलिंग किया जाना आवश्यक है।

सावधानियां (Precautions):

1. कार्य भार ग्रहण करने के बाद स्टेशन मास्टर सभी दस्तावेजों जैसे स्टेशन डायरी, गाड़ी सिगनल रजिस्टर, लाईन ब्लॉक एवं क्लियर रजिस्टर, पावर ब्लॉक रजिस्टर इत्यादि में की गई प्रविष्टियों को पढ़े एवं आवश्यक प्रविष्टियों को लाल स्याही से करें।
2. लाईनों की स्थिति के संबंध में केवल लिखे हुए पर भरोसा न करें बल्कि स्वंय स्थिति को देखकर संतुष्ट हो लें।
3. ब्लॉक दिये जाने पर संबंधित ब्लॉक सेक्शन में गाड़ियों के प्रवेश को रोकने के लिए स्टॉग प्लग/बटन कॉलर/स्लाईड कॉलर/लीवर कॉलर का प्रयोग करें एवं लाल पर सफेद अक्षर से लिखा गया " लाईन बाधित (LINE OBSTRUCTED)" बोर्ड ब्लॉक उपकरण पर लटकायें।

उपर्युक्त वर्णित घटना के मद्देनजर 07 दिनों का काउंसलिंग ड्राइव चलाकर ब्लॉक के संबंध में नियमों / निर्देशों का पालन किए जाने के प्रति कर्मचारी में जागरूकता लाने को सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

07.11.2019

(राजपति झा)
उप मुख्य परिचालन प्रबंधक/सामान्य
पूर्व मध्य रेल/हाजीपुर

सं0 इ.सी.आर/परि.संरक्षा/चेतावनी/73/505 दिनांक 07.11.2019

प्रतिलिपिः– सूचना एवं आवश्यक कार्रवाही हेतु प्रेषित

(1) सचिव/महाप्रबंधक/पूमरे, हाजीपुरः– कृपया महाप्रबंधक महोदय को सूचनार्थ।
(2) निजी–सचिव/अपर महाप्रबंधक/पूमरे, हाजीपुरः– कृपया अपर महाप्रबंधक महोदय को सूचनार्थ।
(3) मुख्य संरक्षा आयुक्त, पूमरे, हाजीपुरः– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाही हेतु प्रेषित।
(4) मंडल रेल प्रबंधक/धनबाद, मुगलसराय, दानापुर, सोनपुर एवं समस्तीपुर मंडलः– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाही हेतु प्रेषित।
(5) वरीय मंडल परिचालन प्रबंधक/धनबाद, मुगलसराय, दानापुर, सोनपुर एवं समस्तीपुर मंडल :– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाही हेतु प्रेषित।
(6) वरीय मंडल संरक्षा अधिकारी/धनबाद, मुगलसराय, दानापुर, सोनपुर एवं समस्तीपुर मंडल :– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाही हेतु प्रेषित।